न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 26 / 2020

1 श्रीमती श्रवणी देवी बेवा रतनलाल।
2 बाबूलाल पुत्र रतनलाल समस्त जाति जाट निवासीगण थोरासी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती बरजी देवी बेवा बक्साराम।
2 सावित्री देवी बेवा भंवरलाल।
3 संदीप उर्फ नवीन पुत्र भंवरलाल।
4 सुनिल पुत्र भंवरलाल।
5 निलम पुत्री भंवरलाल समस्त जाति जाट निवासीगण थोरासी तहसील धोद जिला सीकर।
6 पटवारी हल्का रसीदपुरा हाल पलथाना तहसील धोद जिला सीकर।
7 उप पंजियक धोद जिला सीकर।
8 तहसीलदार धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय सहायक कलेक्टर द्वितीय
सीकर मुकदमा नम्बर 29 / 2019 उनवानी
श्रीमती श्रवणी देवी आदि बनाम श्रीमती बरजी आदि
निर्णय दिनांक 19.02.2020 अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ताराचन्द यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 25.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 29/2019 में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 29,30 व 123 कुल किता 3 कुल रकबा 5.60 हैक्टेयर वाके ग्राम थोरासी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित हे। जिसमें 2/3 हिस्सा अप्रार्थीगणा बरजी देवी एवं भंवरलाल के नाम दर्ज है 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज है परन्तु मौके पर यह भूमियां विभाजित नहीं है और समझौते के अनुसार सम्पूर्ण भूमियों में से 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण एवं शेष आधा हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पिता भंवरलाल काश्त करते है। भंवरलाल का देहान्त हो चुका है। अब उनके वारिसान काश्त करते है। अप्रार्थी संख्या 2 की आयु अधिक हो गई है। भू–माफिया लोगों ने उन पर प्रभाव बना लिया है वे कभी भी इन भूमियों में अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि का हस्तान्तरण करा लेना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को असीम क्षति होगी। अत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे तादौराने दावा भूमियों के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय ने जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 29,30 व 123 कुल किता 3 कुल रकबा 5.60 हैक्टेयर वाके ग्राम थोरासी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित हे। जिसमें 2/3 हिस्सा अप्रार्थीगणा बरजी देवी एवं भंवरलाल के नाम दर्ज है 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज है परन्तु मौके पर यह भूमियां विभाजित नहीं है और समझौते के अनुसार सम्पूर्ण भूमियों में से 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण एवं शेष आधा हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पिता भंवरलाल काश्त करते है। भंवरलाल का देहान्त हो चुका है। अब उनके वारिसान काश्त करते है। अप्रार्थी संख्या 2 की आयु अधिक हो गई है। भू–माफिया लोगों ने उन पर प्रभाव बना लिया है वे कभी भी इन भूमियों में अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि का हस्तान्तरण करा लेना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को असीम क्षति होगी। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नही कर अपीलांट का आवेदन खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2076 से 79 वाके ग्राम थोरासी में खसरा नम्बर 123,29 व 30 किता 3 रकबा 5.60 हैक्टेयर की खातेदारी बरजी देवी पत्नी बक्साराम हिस्सा 1/3 बाबूलाल पुत्र रतनलाल हिस्सा 2/9, भंवरलाल पुत्र बक्साराम हिस्सा 1/3, व श्रवणी देवी पत्नी रतनलाल हिस्सा 1/9 के नाम से दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि वह 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। जो राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रमाणित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 भूमि भू–माफिया लोगो को हस्तान्तरण कर सकती है। बसह के दौरन कहा कि बरजी देवी भंवरलाल के बच्चों के प्रभाव में है हमें अंदेशा है कि उनको जमीन दे सकती है। पारिवारिक कोई लिखावट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूमियां संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। बरजी देवी स्वंय 1/3 हिस्से की खातेदारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

काश्तकार है जिसे भूमि को किसी को देने या नहीं देने से कानूनन नहीं रोका जा सकता है। पक्षकारान विवादित भूमि में रिकार्डेड खातेदार कश्तकार है जिन्हे बिना किसी उचित कारण के किसी प्रकार से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुवार विवेचन कर प्रार्थी अपीलांट का आवेदन विधि सम्मत रूप से खारिज किया है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2076 से 79 वाके ग्राम थोरासी में खसरा नम्बर 123,29 व 30 किता 3 रकबा 5.60 हैक्टेयर की खातेदारी बरजी देवी पत्नी बक्साराम हिस्सा 1/3 बाबूलाल पुत्र रतनलाल हिस्सा 2/9, भंवरलाल पुत्र बक्साराम हिस्सा 1/3, व श्रवणी देवी पत्नी रतनलाल हिस्सा 1/9 के नाम से दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि वह 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। जो राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रमाणित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 भूमि भू–माफिया लोगो को हस्तान्तरण कर सकती है। बसह के दौरन कहा कि बरजी देवी भंवरलाल के बच्चों के प्रभाव में है हमें अंदेशा है कि उनको जमीन दे सकती है। पारिवारिक कोई लिखावट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूमियां संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। बरजी देवी स्वंय 1/3 हिस्से की खातेदारी काश्तकार है जिसे भूमि को किसी को देने या नहीं देने से कानूनन नहीं रोका जा सकता है। पक्षकारान विवादित भूमि में रिकार्डेड खातेदार कश्तकार है जिन्हे बिना किसी उचित कारण के किसी प्रकार से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुवार विवेचन कर प्रार्थी अपीलांट का आवेदन विधि सम्मत रूप से खारिज किया है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अत: इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर